संख्याः–808/अड़तीस–9–2014–500(39)/2013

प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2014

विषयः–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सीय सहायता दिये जाने सम्बन्धी कार्यकारी निर्देश के बिन्दु संख्या–1 के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा पत्रों के माध्यम से प्रायः शासन से यह दिशा निर्देश मांगे जा रहे है कि विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र के असाध्य रोगो से पीड़ित व्यक्तियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में इलाज हेतु विधायक निधि से धनराशि स्वीकृति करने की संस्तुति की जा रही है परन्तु उक्त संस्थान प्रदेश के बाहर स्थित होने के कारण वहां इलाज हेतु विधायक निधि से धनराशि दिये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

2– उल्लेखनीय है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत दुर्घटना अग्निकांड व असाध्य रोगो से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सकीय आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–30/38–9–13–500(17)/2012 दिनांक–12.02.2013 द्वारा दिशा– निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक–12.02.2013 के बिन्दु संख्या–1 में उल्लिखित प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव/संस्तुति किये जाने की व्यवस्था है। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक–12.02.2013 में उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के दृष्टिगत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एम्स) एवं संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञाान (एस0जी0पी0 जी0आई0), लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भी इलाज कराने हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से चिकित्सकीय सहायता दी जा सकेगी।

भवदीय,

18/9/1

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या– 808 (1)/अड़तीस–9–2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, (श्री अमित गुप्ता)।
2– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3– गार्डबुक।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

rd 9 go 2014

संख्याः–808/अड्तीस–9–2014–500(39)/2013

प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2014

विषयः–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सीय सहायता दिये जाने सम्बन्धी कार्यकारी निर्देश के बिन्दु संख्या–1 के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा पत्रों के माध्यम से प्रायः शासन से यह दिशा निर्देश मांगे जा रहे है कि विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र के असाध्य रोगो से पीड़ित व्यक्तियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में इलाज हेतु विधायक निधि से धनराशि स्वीकृति करने की संस्तुति की जा रही है परन्तु उक्त संस्थान प्रदेश के बाहर स्थित होने के कारण वहां इलाज हेतु विधायक निधि से धनराशि दिये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

2– उल्लेखनीय है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत दुर्घटना अग्निकांड व असाध्य रोगो से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सकीय आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–30/38–9–13–500(17)/2012 दिनांक–12.02.2013 द्वारा दिशा– निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक–12.02.2013 के बिन्दु संख्या–1 में उल्लिखित प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव/संस्तुति किये जाने की व्यवस्था है। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक–12.02.2013 में उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के दृष्टिगत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एम्स) एवं संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान (एस0जी0पी0 जी0आई0), लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भी इलाज कराने हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से चिकित्सकीय सहायता दी जा सकेगी।

भवदीय,

18/9/

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या–808 (1)/अड्तीस–9–2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, (श्री अमित गुप्ता)।
2– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3– गार्डबुक।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

rd 9 go 2014